प्रेस विज्ञप्ति

17-01-2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत **बिरफा आईटी मामले** में **जसप्रीत सिंह बग्गा** को गिरफ्तार किया है, जिसमें ईडी द्वारा इससे पहले 4 आरोपी नामतः मणिदीप मागो, संजय सेठी, मयंक डांग और तुषार डांग को गिरफ्तार किया जा चुका है। उसे विशेष न्यायालय (पीएमएलए), द्वारका के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने आरोपी को 18.01.2025 तक 1 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है।

ईडी ने बिरफा आईटी के वित्तीय मामलों की जांच इस सूचना के आधार पर शुरू की कि इस इकाई ने भारी मात्रा में क्रिप्टो परिसंपत्तियां बेची और एक भारतीय क्रिप्टो-एक्सचेंज से 1858 करोड़ रुपये का नकदीकरण कराया। जांच से पता चला कि इसने भारत में कोई क्रिप्टो संपत्ति नहीं खरीदी है। ऐसी स्थिति ने क्रिप्टो लेनदेन का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय हवाला के खतरनाक परिदृश्य की ओर संकेत दिया । इसलिए, इस मामले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत की गई तलाशी से साक्ष्य सामने आए कि मणिदीप मागो फर्जी और जाली दस्तावेजों का उपयोग करके अवैध विदेशी धन- प्रेषण (रेमिटेंसेस) कर रहा है। तलाशी के दौरान मिले निष्कर्षों के आधार पर ईडी ने अपराध शाखा, दिल्ली को शिकायत की और भारतीय दंड संहिता (आईपसी), 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई। चूंकि प्राथमिकी में अनुसूचित अपराध शामिल थे, इसलिए ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत विस्तृत जांच के लिए मामला लिया गया है।

यह मामला चीन और हांगकांग से किए गए कम कीमत दर्ज चालान (अन्डर इन्वॉइस्ड) वाले आयातों के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान करने के लिए फर्जी और जाली चालान के आधार पर 4817 करोड़ रुपये के अवैध विदेशी धन-प्रेषण से जुड़ा है । जसप्रीत सिंह बग्गा ऑप्टिकल्स व्यवसाय में है और संजय सेठी और मयंक डांग का करीबी सहयोगी है और हवाला चैनलों के माध्यम से कम कीमत दर्ज चालान (अन्डर इन्वॉइस्ड) वाले आयात और क्षतिपूर्ति भुगतान भेजने में शामिल सिंडिकेट का एक प्रमुख सदस्य है। उसकी दुकान नकदी संग्रह का केंद्र थी और कई आयातकों से बेहिसाब नकदी संग्रह के लिए एक केंद्र के रूप में काम करती थी। वह दैनिक नकदी संग्रह को कीर्ति नगर में अपने घर ले जाता था जिसे आगे मणिदीप के नकदी संचालकों द्वारा एकत्र किया जाता था और अंततः फर्जी और जाली चालान का उपयोग करके मणिदीप मागो और संजय सेठी की कंपनियों के माध्यम से अवैध रूप से विदेश भेज दिया जाता था।

ईडी की जांच से पता चला है कि जसप्रीत सिंह बग्गा ने मणिदीप मागो और संजय सेठी के लिए करीब 250 करोड़ रुपये की नकदी संभाली थी। यह नकदी चीनी निर्यातकों को क्षतिपूर्ति भुगतान करने के लिए विदेश प्रेषित किए जाने से पहले आरोपी व्यक्तियों द्वारा संचालित विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से छिपाई (लेयर) जाती थी।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।